Miche Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2006/आवाढ़ 6, 1928 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2006/ASADHA 6, 1928

No. 281]

वित्त मंत्रा<mark>लय</mark> (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2006

सा.का.नि. 381(अ).—धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440(अ) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) के अधीन निदेशक, वित्त आसूचना एकक, भारत अथवा असके द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अथवा हस्तगत सूचना को नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकरण अथवा निकाय को इसके कार्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा प्रस्तुत करा सकता है :—

- (1) वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग;
- (2) मंत्रिमंडल संचिवालय (अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कन्ध);
- (3) गृह मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अथवा आसूचना ब्यूरी;
- (4) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आर्थिक अपराध विंग;
- (5) राज्य सरकारों के मुख्य सचिव;
- (6) भारतीय रिजर्व बैंक;
- (7) कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार;
- (8) भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड;
- (9) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण।

[अधिसूचना सं. 6/2006/फा. सं. 6/9/2006-ई.एस.] वी. पी. अरोडा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2006

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby specifies that the Director, Financial Intelligence Unit, India, under the Ministry of Finance, Department of Revenue, appointed as Director vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number G.S.R. 440(E), dated the 1st July, 2005 or any other authority specified by him by a general or special order may furnish or cause to be furnished the information received or obtained by such Director or such authority, to the authority or body specified hereunder for the purpose of performing its functions:—

- (1) Directorate of Enforcement under the Ministry of Finance, Department of Revenue;
- (2) Cahinet Secretariat (Research and Analysis Wing);
- (3) Ministry of Home Affairs or National Security Council Secretariat or Intelligence Bureau;
- (4) Economic Offences Wing of Central Bureau of Investigation;
- (5) Chief Secretaries of the State Governments;
- (6) Reserve Bank of India;
- (7) Department of Company Affairs, Government of India;
- (8) Securities and Exchange Board of India;
- (9) Insurance Regulatory and Development Authority of India.

[Notification No. 6/2006/F. No. 6/9/2006-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2006

सा.का.नि. 382(अ),—धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना से. सा.का.नि. 441(अ) के तहत प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधीन निदेशक अथवा उसके द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अथवा हस्तगत सूचना को नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकरण अथवा निकाय को इसके कार्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा प्रस्तुत करा सकता है :—

- (1) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक, भारत;
- (2) मंत्रिमंडल सचिवालय (अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कन्ध);
- (3) गृह मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अथवा आसूचना ब्यूरो
- (4) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो का आर्थिक अपराध विंग:
- (5) राज्य सरकारों के मुख्य सचिव:
- (6) भारतीय रिजर्व बैंक;
- (7) कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार;
- (8) भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड;
- (9) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण।

[अधिसूचना सं. 7/2006/फा. सं. 6/9/2006-ई.एस.] वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2006

G.S.R. 382(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby specifies that the Director, of Enforcement, under the Ministry of Finance, Department of Revenue, appointed as Director vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number G.S.R. 441(E), dated the 1st July, 2005 or any other authority specified by him by a general or special order may furnish or cause to be furnished the information received or obtained by such Director or such authority, to the authority or body specified hereunder for the purpose of performing its functions:—

- (1) Director, Financial Intelligence Unit, India, under the Ministry of Finance, Department of Revenue;
- (2) Cabinet Secretariat (Research and Analysis Wing);
- (3) Ministry of Home Affairs or National Security Council Secretariat or Intelligence Bureau;
- (4) Economic Offences Wing of Central Bureau of Investigation;
- (5) Chief Secretaries of the State Governments;
- (6) Reserve Bank of India;
- (7) Department of Company Affairs, Government of India;
- (8) Securities and Exchange Board of India;
- (9) Insurance Regulatory and Development Authority of India;

[Notification No. 7/2006/F. No. 6/9/2006-E.S.] V. P. ARORA, Under Secy.